राजनैतिक विकास की अवधारणा – छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था

डॉ. अजय चंद्राकर

विभागाध्यक्ष राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर आज के वैज्ञानिक युग की अवधि तक न जाने कई व्यवस्थाएं आयी और समय के चक में शासनकुल परिवर्तित होती चली गयी। सदैव से विभिन्न शासन व्यवस्थाएं समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं। जो मानव के राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों पर अपना प्रभाव सदैव से डालती रही है। इनमें कही राजतंत्र, कुलीनतंत्र, अधिनायक तंत्र या लोकतंत्र ने सामाजिक संरचानाओं पर व्यापक रूप से प्रभाव डाला है। जहाँ एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमरीकी नवोदित राष्ट्रों ने लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया, इनमें भारत, श्रीलंका, नामीबिया प्रमुख रहें । वही कुछ ने अधिनायक शासन (जैसे नाईजीरिया, क्यूबा, हंगरी आदि) को अपनाया। वर्तमान समय में लोकतंत्र अपनी जड़ों को व्यापक रूप से समाज में सुदृढ़ता से स्थापित करता जा रहा है।

एलेक्जेंडर पोप के अनुसार –"शासन के रूपों के लिए मूर्खो को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है।"

(अंतर्राष्ट्रीय राजनीति डॉ. प्रभुदत्त शर्मा–पृष्ठ 489 में दिये अनुसार –)

सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते है । "**लावेल के अनुसार** पूर्ण लोकतंत्र में कोई भी शिकायत नही कर सकता कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नही मिला।" लोकतंत्रीय प्रणाली में चाहे राजा हो या सामान्यजन सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त होता है।

भारत में राजनीतिक विकास बड़ी तेजी से हुआ है, यहाँ विकास की अधिनियमित नीतियों का निर्धारण केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा इस प्रकार किया जा रहा है, कि

गरीबी निवारण, भष्ट्राचार हटाने, लाल फीताशाही समाप्त करने के दृष्टिकोण से भारत पिछड़े देशों की तुलना में अग्रणी स्थान रखता है। भारतीय संविधान भी लोक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। वही नीति निदेशक तत्वों में गरीबी दूर करने, सामाजिक न्याय प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके परिपालन के लिए ही दूरदर्शिता पूर्ण कार्य पंचायती राज की स्थापना हुई।

महात्मा गांधी के अनुसार : "असली स्वराज केवल कुछ लोगों द्वारा सत्ता पर अधिकार जमाने से नहीं अपितु सभी लोगों द्वारा क्षमता का विकास करने से आयेग" प्राचीन भारतीय इतिहास में ग्राम पंचायतों का सुदृढ़ अंगो के रूप में उल्लेख है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत न इन संस्थानों की भूमिका को नगण्य कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए 'पंचायती राज व्यवस्था' को नीति निर्देशक सिद्धांत में स्थान दिया गया है ! राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को जिसके लिए अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि संगठन निकायों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान करेगी।

पं जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार लोकतंत्र की किसी भी सच्ची व्यवस्था का आधार स्थानीय स्वशासन ही है और होना चाहिए । हमें लोकतंत्र के बारे में चोटी से ही सोचने की आदत सी पड़ गयी और नीचे से लोकतंत्र के बारे में हम कोई खास विचार नहीं करते । जब तक लोकतंत्र का इस नीचे के आधार पर निर्माण नहीं किया जायेगा। शिखर पर सफल नहीं होगी। अतः देश में पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत आमतौर पर तीन स्तरीय व्यवस्था ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर, जिला स्तर है ।

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में 1956 के पहले भूचाल क्षेत्र, महाकौशल, विंध्यक्षेत्र, मध्यभारत क्षेत्र, सिरोज उपक्षेत्र में पंचायती राज की स्थापना की गयी थी, पर इनकी भूमिका नगण्य ही रही थी । पंचायती राज अधिनियम म.प्र. (अब छ. ग.) द्वारा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत को व्यापक अधिकार व शक्तियां प्रदान की गयी हैं। वही समय समय पर विभिन्न जन कल्याण कारी योजनाएं भी लायी गयी जैसे महिला समृद्धि योजना, राजीव गांधी मिशन, इंदिरा गांव गंगा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार, इंदिरा सहेली योजना, शिक्षा के क्षेत्र में नवीन योजनाएं पढ़बों पढ़ाबों, और सर्वशिक्षा अभियान आदि सभी ग्राम्य व जिला स्तरों पर

प्रगतिशील हैं। प्रदेश सरकार ने पंचायतों तथा युवाओं का जनकल्याण कार्यों के प्रतिप्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत तथा युवा पुरस्कार की घोषणा भी की गयी। वहीं स्वरोजगार हेतु संचालित ट्रायसेम योजना द्वारा शासन प्रशिक्षित युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और अनुदान देने की व्यवस्था की है, और हित ग्राहियों का चयन ग्राम पंचायतें ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात् करती हैं । चयनित को संबंधित क्षेत्र के बैंक शाखा प्रबंधक ऋण मंजूर करते हैं।

इस प्रकार पंचायती राज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन, विकास तथा लोकतंत्र की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, पर ये कितनी सफल होंगी या नहीं, संदेह से परे भी नहीं है। अक्टूबर 1995 को नई दिल्ली में 22 राज्यों के पंचायत अध्यक्षों का गांधी जी की सौंवी जयंती के अवसर पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजिक हुआ। पंचायत प्रतिनिधियों की शिकायत थी कि आज तक किसी भी प्रांत में काम काज करने के लिए जरूरी अधिकारों और संसाधनों का हस्तांतरण उन्हें नहीं हुआ तो गांधी जी का स्वप्न कैसे पूरा होगा। पंचायतों का न्यायिक, वित्तीय व अन्य अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ताकि कार्यों के निष्पादन मे किसी भी प्रकार का विलंब न हो सके। आज भी न्यायिक पंचायत जैसे अधिकार इनके पास नहीं है। वित्तीय आबंटन और क्रियान्वयन पक्षपात, अराजकता की संभावनाओं को बखूबी पहचानते थे, सत्ता के ईमानदार विकेन्द्रीकरण के लिए उन्हें सबसे छोटी और कारगर इकाई ग्रामीण गणतंत्र ही नजर आये थे। किन्तु इनका एक छोर उस अर्थ तंत्र से जुड़ा है जिनकी वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग के पास है।

छत्तीसगढ़ में भी अन्य राज्यों की ही भांति तीन स्तरीय ग्राम स्तर, जनपद स्तर, और जिला पंचायत स्तर की व्यवस्था को ही अपनाया गया। नित नवीन योजनाओं की घोषणा राज्य शासन द्वारा समयानुसार की जा रही है। यद्यपि व्यापक अधिकार व शक्तियां प्रदाय की गयी हैं लेकिन वर्तमान के धरातल पर भविष्य का सपना? हमारे विगत अनुभवों और परिणामों से ही आंकलित व परिणामित किया जा सकता हैं।

वास्तविकता का आंकलन करने ही ग्राम पंचायत तेलीगुण्डरा का चयन कर विभिन्न पक्षों पर साक्षात्कार द्वारा प्राप्त उत्तरों से परिणाम जानने का प्रयास किया। गया। सरपंच अपने

अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार कर रहें है । उन्हें किन समस्याओं से साक्षात्कार करना होता ।

पंचों का अध्यक्षों का, सचिवों का प्रशासन का, शिक्षण संस्थाओं का, और ग्रामीणों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त हो रहा हैं । वे किन अन्य अधिकारों की अपेक्षा शासन से करते है, ताकि उन्हें कार्य निष्पादन और संचालन में आने वाली असुविधाओं से अधिकाधिक सामना न करना पड़े। किस प्रकार के कार्य या योजनाओं का ग्राम्य स्तर पर लाने पहल की हैं।

सरपंच का मानना है कि उन्हें न्यायिक क्षेत्राधिकार मिलने चाहिए । जिसमें अपील सुनवाई शामिल रहें, कार्यों को करवाने ऊपर के मातहतों के समक्ष बार– बार हाथ न जोड़ना पड़े। विभिन्न समस्याओं पर शासन त्वरित कार्यवाई करें। डाकघर समस्या, चिकित्सा प्रबंध, शाला अपग्रेड, कृषि परिवर्तन, भंडारण समस्या समुचित अनाज मूल्य, शासन द्वारा निरीक्षण कर त्वरित निर्णय लेकर क्रियान्वयन किया जाए। ग्रामवासी मानते है कि गांव का विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है। वे समीपस्थ ग्राम से अपनी स्थिति बेहतर मानते है। वे उन्हें ही वोट देते है, जिसे सब देते हैं। सामान्यतः पार्टी आधार, और व्यक्तित्व को प्रमुखता देते है। पार्षदों द्वारा समय – समय पर दौरा आवश्यक होता है, पर सांसद किसी कार्यक्रम में आये तो आए नही तो दौरा नहीं करते है। शासन द्वारा ऋण सुविधा आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। शिक्षा में सुधार अवश्य होना चाहिए। गुणात्मकता का विशिष्ट ध्यान रखा जाना चाहिए।

यही गांव के शिक्षक वर्गों का भी अपना–अलग अनुभव है– वे मानते है कि पंचायत द्वारा यदि किसी भी प्रकार की धन आवश्यकता आ जाए (जैसे बिजली बिल) तो सहर्ष ही सरपंच द्वारा अपनी निधि से मुहैया कराया जाता है। वे शिक्षा में प्रयोग धर्मी नीतियों का विरोध करते है। शिक्षा में राजनीति, शिक्षेत्तर गतिविधियों से शिक्षकों को जोड़ना और शासन द्वारा मूलभूत सुविधाओं की लेटलतीफी का विरोध करते हैं, साथ ही वर्गीय शिक्षक संगठनों की असामयिक गतिविधियों का शिक्षण पर दुष्प्रभाव भी स्पष्टतः स्वीकार करते है।

पंचायती राज अधिनियम अपने आप में लक्ष्य भले ही है, गति तो नहीं दे सकता ? गति केवल सभी सरकारों, स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों की मदद, नियत संयत व्यवहार से होगी।

अर्थात् केन्द्र वे राज्य सरकार द्वारा पंचायत संको अधिकार व शक्तियां ईमानदारी से सौपीं जाएं।

पंचायत व्यवस्थाओं के संचालन व सफल बनाने के कुछ सुझाव इस प्रकार हैः–

कार्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी अपने आप में सफलता का प्रथम श्रोत है।

पंचायतों में गुटीय राजनीति को हावी न होने दिया जाए।

पंचायतों को वित्तीय शक्तियां देने के साथ ही साथ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दिया जाना चाहिए ताकि पंचायतों की वित्तीय हालत सुधर सकें।

पंचायत चुनाव में मतदान अनिवार्य रखा जाए, भाग न लेने पर ग्राम्य स्थिति द्य आधार पर अर्थ दंड लगाया जा सकता है।

पंचायतों में सदस्यगण आपसी सहयोग की भावना से कार्य करें न कि प्रतिद्वंदिता, द्वेश या मनमुटाव से ।

निर्वाचित प्रतिनिधियों को समुचित प्रशिक्षण राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाए।

अधिकार व शक्तियों का दुरूपयोग करने पर पंचायत सदस्यों के प्रत्यावर्तन की सुविधा ग्राम विशेष के लोगों को प्राप्त हो ।

पंच, सरपंच, उपसरपंच के लिए प्राथमिक शिक्षा कम से कम 5 वीं उत्तीर्ण अनिवार्य रखा जाए। ऐसा स्वयं सरपंच महोदय भी स्वीकार करते हैं।

पंचायत सदस्यों द्वारा भ्रष्ट्राचार या किसी से अमानवीय व्यवहार करने पर वही दंड का प्रावधान रखा जाए जैसे किसी शासनाधिन व्यक्ति या सामान्य जन को दिया जाता है।

पंचायत सदस्यों की कार्यों के प्रति जवाब देही निर्धारित की जाये।

ग्राम न्यायालय की स्थापना पर विश बल दिया जाए।

ग्राम्य स्तर पर शासन की नवीन योजनाओं को प्रचार प्रसार समुचित रूप से किया जाए।

प्रो. श्रीराम माहेश्वरी के अनुसार –

"पंचायत समिति के सदस्यों के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध सीापित हो सके और समिति का काम सरलता से चल सकें"

इस प्रकार हम पाते है कि छत्तीसगढ़ के लिए गांव आर्थिक समृद्धि का पतीक है इनका सर्वागिण विकास पंचायतों की पूर्ण सफलता के द्वारा ही संभव है। अतः प्रशासन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए समुचित रूप से पयास किया जाना चाहिए। तभी हम न केवल ग्रामीण क्षेत्र को अपितु संपूर्ण राष्ट्र को विकास की नयी ऊँचाइयों पर ला सकेंगे, जिससे हमारा देश लोककल्याण की संविधानिक सिद्धांतों की स्थापना की परिपूर्णता का पा सकेगा ।

ग्राम पंचायत तेलीगुण्डा का मूल्यांकन : – सर्वेक्षण उपरांत प्राप्त आंकड़े, प्राप्त समस्याएं व इनके समाधान हेतु प्राप्त सुझाओं के आधार पर हम पाते है कि यदि कुछ मूलभूत सुविधाओं की परिपूर्णता इस क्षेत्र में ला दी जाये तो यह ग्राम पंचायत एक विकसित पंचायत की श्रेणी में आ जायेगा ।

–